अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

जज अदालत–न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) मुकाम–बांदीकुई
जज इजलास– नीतू करोल आर.ए.एस. सहायक कलक्टर बांदीकुई
उनवान– रोशनलाल बनाम ताराचन्द वगै.
दावा बाबत– तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मु.न. 226/2022 न्यायालय हाजा में दर्ज मु.न. 110/2023

आदेश है कि वादी वाद दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया ग्राम मुकरपुरा पटवार हल्का श्यालावास खुर्द में भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 75 पुरानी 52 के खसरा नम्बर 581 रकबा 0.13 है०, खसरा नम्बर 582 रकबा 0.18 है०, खसरा नम्बर 584 रकबा 0.16 है0, खसरा नम्बर 587 रकबा 0.10 है० कुल किता 4 कुल रकबा 0. 57 है० वार्षिक लगानी 16.87 रूपये स्थित है में तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त कुर्रेजात अनुसार वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार बांदीकुई तदानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। साथ ही प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत न करे।

निज..............................मुबलिग..बाबत्..

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद मसरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21 माह 07 सन् 2025 को जारी की गई।

(नीतू करोल)
आरएएस
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामास्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल	स्आम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल

दस्तखत.................
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) बांदीकुई

(पीठासीन अधिकारी नीतू करोल आर.ए.एस)

मु.न. 226/2022
न्यायालय हाजा में दर्ज मु.न. 110/2023
दर्ज दिनांक 20.4.2023
निर्णय दिनांक 21.07.2025

उनवान

1. रोशन लाल पुत्र रामचन्द्र जाति बैरवा निवासी भांकरी तहसील दौसा जिला दौसा ।

वादी............ ।

बनाम

1. ताराचन्द पुत्र राधाकिशन जाति बैरवा निवासी मुकरपुरा थला का बास तहसील बसवा जिला दौसा
2. श्रीमति रेशन पत्नि प्रतीम जाति बैरवा निवासी खेडी तहसील बैजूपाडा जिला दौसा
3. अशोक कुमार पुत्र बाबूलाल जाति बैरवा निवासी बैरवा ढाणी
4. उगन्ती पुत्री श्रवण
5. चन्दो पत्नि किशोर
6. छोटे लाल पुत्र बाबूलाल
7. दीनदयाल पुत्र बाबूलाल
8. धन्ना लाल पुत्र श्रवण
9. नर्बदा पुत्री श्रवण
10. नीरू पुत्री बाबूलाल
11. पूनी पुत्री कजोड
12. प्रेम देवी पुत्री नाथ्या
13. बृजमोहन पुत्र बाबूलाल
14. बिशन लाल पुत्र कजोड
15. भोती देवी पुत्री कजोड
16. भौरया पुत्र कजोड
17. राजेन्द्र पुत्र बाबूलाल
18. रामप्रसाद पुत्र किशोर
19. लडडो देवी पुत्री कजोड
20. लालाराम पुत्र बाबूलाल
21. लाली पुत्री श्रवण
22. विनोद कुमार पुत्र बाबूलाल
23. विमला पुत्री बाबूलाल
24. सुनीता पुत्री बाबूलाल
25. सोमोती लाल पुत्र श्रवण

(क्रम संख्या 4 से 24: जाति बैरवा निवासी बैरवा ढाणी मुकरपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा।)

26. उपपंजीयन अधिकारी, उपपंजीयन कार्यालय बॉदीकुई
27. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील बसवा हाल बांदीकुई
28. शिम्भूदयाल पुत्र पून्याराम जाति बैरवा निवासी मुकरपुरा तहसील बॉदीकुई जिला दौसा ।

प्रतिवादीगण............ ।

राजस्थान कास्तकारी अधिनियम धारा 53 व 188

उपस्थिति:–

1. श्री राजेन्द्र सिंह गुर्जर अधिवक्ता वादी
2. श्री के कमलसिंह , जगदेव कसाना अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
3. श्री विनोद कुमार अधिवक्ता प्रतिवादी 28
4. श्री महावीर डोई एडवोकेट प्रतिवादी 12

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

निर्णय

दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक 21.07.2025

वादी द्वारा वाद दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई के न्यायालय मे पेश किया गया था। शीघ्र सुनवाई हेतु प्रकरण न्यायालय हाजा में स्थानान्तरित होकर पेश हुआ। जिसका संक्षित विवरण निम्न प्रकार है:– ग्राम मुकरपुरा पटवार हल्का श्यालावास खुर्द में भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 75 पुरानी 52 के खसरा नम्बर 581 रकबा 0.13 है०, खसरा नम्बर 582 रकबा 0.18 है०, खसरा नम्बर 584 रकबा 0.16 है0, खसरा नम्बर 587 रकबा 0. 10 है० कुल किता 4 कुल रकबा 0. 57 है० वार्षिक लगानी 16.87 रूपये स्थित है भूमि मुतदाविया वर्णित पैरा नं0 1 वाद पत्र वादी एवम प्रतिवादी संख्या 1 ला० 25 की शामलाती कब्जे काश्त व सहखातेदारी की भूमि है भूमि में वादी का 1/115 वां हिस्सा है भूमि मुतदाविया जिसका अभी तक विधिवत सरस नरस के अनुसार तकासमा नही हुआ है जिसको मौके पर बाहमी तौर बांट रखा है तथा वादी अपने हक हिस्से व अधिकार की भूमि का उपयोग उपभोग इस्तेमाल कर मुफीद होता चला आ रहा है लेकिन भूमि का तकासमा नही होने के कारण आये दिन पक्षकारान में कमती ज्यादा भूमि को लेकर व उपयोग उपभोग इस्तेमाल करते समय आपस में विवाद हो जाता है ऐसी सूरत में भूमि मुतदाविया का कब्जे के अनुसार सरस नरस के अनुसार कब्जे के अनुसार तकास्मा किया जाकर वादी के हिस्से का अलग चक व अलग खाता कायम किया जाकर अलग अलग चक व अलग लगान व अलग अलग खाते कायम किये जाकर अलग अलग पास बुके जारी की जावें। प्रतिवादीगण संख्या 1 ला० 2 के मन में अब बदयान्ती हो गयी है तथा वे अब बिना भूमि का विधिवत तकासम हुये ही वादी की भूमि पर अपना नाजायज जबरिया अतिक्रमण करते हुये पुख्ता निर्माण करके दीगर सख्स को रहन व बय करने पर आमादा है तथा कृषि भूमि को अकृषि में तब्दील करने पर आमादा है तथा धमकी दे रहे है कि न तो भूमि का तकासमा करवायेगे न ही वादी को उसकी भूमि का उपयोग करने देगे हम हर सूरत में वादी के हिस्से में आयी भूमि पर अपना नाजायज जबरिया कब्जा करके रहेगे तथा ऐसे लोगो को बेचान करके रहेगे जो कि लाठी के जोर पर वादी को बेदखल कर देगे । तथा वादी को उसकी भूमि में काश्त नही करने देंगे। ऐसी सूरत में वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पाबंद करवाने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण भूमि मुतदाविया का जब तक विधिवत तकासमा होकर अलग अलग खाते कायम न हो जावे तब भूमि पर अपना नाजायज जबरिया कब्जा करने की कोशिश करने से, किसी भी प्रकार का खाम या पुख्ता निर्माण करने से, भूमि वादग्रस्त भूमि पर वादी को फसल बोते समय व काटते समय किसी भी प्रकार का झगडा फिसाद करने से, अपना नाजायज जबरिया कब्जा कर खाम व पुख्ता निर्माण करके किसी दीगर शख्स को रहन व बय करने से, कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित करने से, पेड पौधो को काटने से खोदने से अर्थात किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा करने से पाबंद रहें एवम प्रतिवादी संख्या 26 बहैसियत भूमिधारी राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार की तब्दीली करने से एव प्रतिवादी सं० 1 व 2 के द्वारा पेश किये जाने वाले किसी भी रहननामा बयनामा आदि को पंजीकृत करने से पाबंद रहें । राजस्व रिकार्ड व मौके की यथावत स्थिति बनाये रखे। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने वादीगण के विरूद्ध एक नाजायज गिरोह बना रखा है तथा वादी से आये दिन झगडा फिसाद करते रहते है दिनांक 10/7/2022 को प्रार्थी की गरीबी व असहाय का नाजायज फायदा उठाते हुये तथा वादी को उसके हक हिस्से व अधिकारात की भूमि पर कब्जा करने को आमादा हो गये। वादी ने मना किया तो जान से मारने पर आमादा हो गये । तथा बिना तकासमा हुये ही वादी के खेतो को बेचान करने की बाबत बातचीत करने लगे व भूमि को दिखाने लगे वादी ने प्रतिवादीगण को मना किया तो प्रतिवादीगण ने कहा कि अब हम वादी के खेतो को बेच कर रहेगे तथा वादी के खेतो में जबरन कब्जा करके निर्माण करने की धमकी दी कि अब हम भूमि को दीगर लोगो को बेचान करके रहेगे तथा तुम्हे बेदखल करके रहेंगे तथा उपयोग उपभोग इस्तेमाल नहीं करने देगे जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण से कहा कि पहले भूमि का आपसी सहमति के आधार पर तकासमा करवालो फिर आप अपने हिस्से की पर चाहे तुम निर्माण करो या भूमि को बेचान कर देना या रास्ता निकाल लेना अपनी सुविधा के अनुसार उपयोग में लेना, तो प्रतिवादीगण तकासमा करवाने से भी साफ इंकार हो गये यदि प्रतिवादीगण अपने

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (... टेक) बांदीकुई

नाजायज मकसद की पूर्ति में कामयाब हो गये तो वादी को नुकसान अजीम नाकाबिले तायुन व तखमीना होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं हो सकेगी व गैर जरूरी किस्म के मुकदमात दरम्यान फरीकेन चल पड़ेगे जो बाय से बरबादी वादी होगे ऐसी सूरत में सिवाय दावा हाजा के और कोई चारा नजर नही आया इस कारण दावा हाजा पेश करना लाजिम आया । अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि बाद तहकीकात दावा वादी वरखिलाफ प्रतिवादीगण निम्न इस्तदुआ स्वीकार करते हुये डिक्री फरमाया जावे कि ::– अ– भूमि मुतदाविया वर्णित पैरा नं0 1 वाद पत्र का विधिवत तकासमा किया जाकर मौके व कब्जे के अनुसार वादी के 1/115 वे हिस्से में आयी भूमि का सरस नरस के अनुसार विधिवत तकासमा किया जाकर वादी का अलग चक व अलग खाता व अलग लगान कायम किया जाकर अलग अलग पास बुके जारी की जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पाबंद किया जावे।

वादी वाद दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई। दिनांक 18.9.2023 प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 9, 11,13 लगायत 27 की एक पक्षीय कार्यवाही की गई एवं प्रतिवादी 2,10 की दिनांक 26. 06.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली शेष प्रतिवादीगण के जवाब पर नियत की गई दिनांक 12.07.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 अधिवक्ता द्वारा दावा प्राथमिक डिक्री करने का निवेदन किया गया। प्रकरण में दिनांक 31.7.2024 को वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना 151 सीपीसी का पेश किया गया जो पोषणीय नही होने से खारिज किया गया है जिसका निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावाली का अवलोकन किया गया वादी द्वारा दावा तकास्मा का किया गया जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा दावा प्राथमिक डिक्री करने हेतु सहमति पूर्व में ही दी जा चुकी है। वादी द्वारा पेश ग्राम मुकरपुरा पटवार हल्का श्यालावास खुर्द में भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 75 पुरानी 52 के खसरा नम्बर 581 रकबा 0.13 है०, खसरा नम्बर 582 रकबा 0.18 है०, खसरा नम्बर 584 रकबा 0.16 है0, खसरा नम्बर 587 रकबा 0.10 है० कुल किता 4 कुल रकबा 0. 57 है० में वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के संयुक्त खातेदारी भूमि का कोई भी खातेदार अपनी जोत का विभाजन करवा सकता है। उक्त आधार पर वादी तकास्मा कराने का अधिकारी है। प्रकरण में दिनांक 08.08.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई। उक्त खसरा नम्बर एवं समान पक्षकार होने से प्रकरण ताराचन्द बनाम रोशन लाल मु.न. 276/2022 दिनांक दिनांक 10.09.2024 को उक्त वाद के हमफिता किया गया। प्रकरण कुर्रेजात पर नियत किया गया प्रकरण में तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक 826 दिनांक 07.03.2025 तहसीलदार बांदीकुई द्वारा कुर्रेजात न्यायालय हाजा में पेश किये गये प्रकरण में वादी की ओर से आपत्ति कुर्रेजात एवं प्रार्थना धारा 151 सीपीसी का पेश किया गया किये गये है।

प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैः– वादग्रस्त भूमि में तहसीलदार बांदीकुई द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर न्यायालयं हाजा में प्रस्तुत किये गये है परन्तु उपरोक्त वर्णित भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा भू रूपान्तरण कराये बिना पुख्ता निर्माण कर लिया है तथा उपरोक्त भूमि के बाबत सिविल न्यायालय में वाद लम्बित है जिसमें स्थगन चल रहा है जिसका नोट जमाबन्दी में अंकित है फिर भी तहसीलदार बांदीकुई द्वारा प्रतिवादीगण से सांठ गाठ हो जाने से उक्त तथ्यो को नजर अन्दाज करते हुए वादी को सुचित किए बिना ही कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दिये है जो विधि विरूद्ध है। तहसीलदार बांदीकुई द्वारा भूमि विवादित में हो रहे पुख्ता निर्माण के बाबत तकास्मा से पूर्व धारा 177 राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए थी जो प्रतिवादीगण को लाभ पहूचाने के इरादे से नही की जाकर विधिविरूद्ध तरीके से कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये है। वादी ने जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 09.09. 2010 को ख.न. 581/0.13, 582 /0.18, 584/0.16, 587/0.10 कुल किता 4 कुल रकबा 0.57 है में बाबूलाल पुत्र नारायण बैरवा का सम्पूर्ण हिस्सा 1/115 जो कि ख.न. 582 से 587 तक पूर्व से पश्चिम 255 फीट कय किया था परन्तु तहसीलदार बांदीकुई द्वारा तैयार किये गये कुर्रेजात प्रस्ताव में वादी को ख.न. 584/4 दिया गया है जो रजि. बयनामा दिनांक 09.09.2010 के विपरीत है तथा उक्त स्थान पर दीगर लोगो की पुख्ता दुकाने बनी हुयी है जिन पर वादी को कब्जा प्राप्त करने में अनावश्यक झगडे फिसाद व मुकदमे बाजा शुरू होना निश्चित है। तहसीलदार बांदीकुई द्वारा उक्त प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के निर्देशानुसार कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार नही किये गये है तथा मुताबिक प्राथमिक डिक्री कुर्रेजात में रास्ता भी कायम नही किया गया है। तहसीलदार बान्दीकुई द्वारा प्रस्तुत

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बांदीकुई

कुर्रेजात मौका, रिकार्ड एवं डिकी के निर्देशो के विपरीत प्रतिवादीगण को विधिवत तरीके से लाभ पहुंचाने हेतु गलत तैयार किये गये है जिनकी वजह से वादी को अनेक गैर जरूरी मुकदमे एवं झगडा फिसाद में उलझना पडेगा जिससे वादी को बर्बादी होगी ऐसी स्थिति में तहसीलदार बांदीकुई द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात प्रस्ताव स्वीकार किये जाने योग्य नही है। प्रार्थना पत्र आपत्ति उर्ज है कि तहसीलदार बांदीकुई द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात अस्वीकार करते हुए निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी का पेश किया गया जो संक्षिप्त में निम्न प्रकार है:- वाद ग्रस्त भूमि में मौका व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखने हेतु स्थगन आदेश पारित किया गया था जो आज दिन तक प्रभावी है। प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय हाजा के स्थगन आदेश दिनांक 12.07.2022 की अवहेलना करते हुए दिनांक 15.04.2025 को विवादित भूमि में जबरन 100–150 व्यक्तियो व मजदुरो के द्वारा निर्माण सामग्री डालकर ताकत एवं हथियारो के बल पर निर्माण शुरू कर दिया है तथा प्रार्थी/वादी के ऐतराज करने पर मारपीट व गम्भीर वारदात करने पर आमादा है। उपरोक्त प्रकरण में विवादित भूमि का अभी तक अन्तिम रूप से विधिवत तकास्मा नही हुआ है परन्तु विपक्षीगण भूमाफिया लोगो के द्वारा न्यायालय हाजा के आदेशो की अवहेलना करते हुए जबरन निर्माण किया जा रहा है जिससे मौके की वास्तविक स्थिति परिवर्तित हो जावेगी तथा वादी/प्रार्थी का वाद प्रस्तुत करने का मकसद फौत हो जावेगा। वादी को अपने हक हकूक से वंचित होना पडेगा। ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा को अपने आदेश दिनांक 12.07.2022 की पालना सुनिश्चित करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 12.07.2022 की अवहेलना करते हुए किये जा रहे निर्माण कार्य को रूकवाये जाने हेतु पुलिस थाना बांदीकुई को आदेशित किया जाकर स्थगन आदेश की पालना करवायी जावे तथा तहसीलदार बांदीकुई से मौका रिपोर्ट तलब किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रतिवादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्रो का जवाब पेश नही कर सीधे ही बहस की गई दौराने बहस प्रतिवादी अधिवक्ता का कथन रहा है कि प्रार्थना पत्र 151 पहले ही डिसाईड हो चुका है वर्तमान में स्थिति में कोई चेन्ज नही हुआ है। इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र को कोई औचित्य नही है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। आपत्ति कुर्रेजात पर प्रतिवादी अधिवक्ता का तर्क रहा है कि तहसीलदार जो द्वारा जो कुर्रेजात बनाये गये है जिसमें वादी का कब्जा है वही जगह उसे ही दी गई है। इसलिये तहसीलदार द्वारा जो कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार किये गये है जो विधिवत तैयार किये गये है। कुर्रेजात स्वीकार किये जावे। वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना 151 एवं आपत्ति कुर्रेजात को दोहराते हुये तर्क प्रार्थना पत्र एवं आपत्ति स्वीकार की जाकर प्रकरण मे पुनः कुर्रेजात तैयार किये जावे।

बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र धारा 151 तथा आपत्ति कुर्रेजात एवं कुर्रेजात का अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी का दिनांक 08.08.2024 को निर्णय किया जा चुका है। जिसमें प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है। इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नही होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात मे वादी का कथन है कि जरिये पंजिकृत विकय पत्र दिनांक 09.09.2010 को ख.न. 581/0.13, 582 /0.18, 584/0.16, 587/0.10 कुल किता 4 कुल रकबा 0.57 है में बाबूलाल पुत्र नारायण बैरवा का सम्पूर्ण हिस्सा 1/115 जो कि ख.न. 582 से 587 तक पूर्व से पश्चिम 255 फिट कय किया था परन्तु तहसीलदार बांदीकुई द्वारा तैयार किये गये कुर्रेजात प्रस्ताव में वादी को ख.न. 584/4 दिया गया है जो रजि. बयनामा दिनांक 09.09.2010 के विपरीत है तथा उक्त स्थान पर दीगर लोगो की पुख्ता दुकाने बनी हुयी है जिन पर वादी को कब्जा प्राप्त करने में अनावश्यक झगडे फिसाद व मुकदमे बाजी शुरू होना निश्चित है। प्रतिवादी का कथन है कि कुर्रेजात में वादी को उसके कब्जे अनुसार ही जगह दी गई है। प्रकरण आदेश पर नियत किया गया। प्रकरण में पत्रावली स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र श्रीमान एडीएम साहब के न्यायालय में पेश होने पर प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई थी। श्रीमान एडीएम साहब दौसा के निर्णय दिनांक 17.07.2025 को पत्रावली स्थानान्तरण प्रार्थना खारिज होने के बाद पत्रावली आदेश पर नियत की गई तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक 826 दिनांक 07.03.2025 के द्वारा प्राप्त कुर्रेजात एवं आपत्ति कुर्रेजात का अवलोकन किया गया कुर्रेजात पक्षकारों को विधिवत सूचित कर मौके पर बरूये राजस्व रिकार्ड के बनाया जाना प्रकट होने से आपत्ति कुर्रेजात प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर प्राप्त कुर्रेजात स्वीकार किये जाकर वादी वाद दावा तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अंतिम डिकी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी वाद दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्राप्त कुर्रेजात अनुसार निम्न अनुसार अंतिम डिकी किया जाता है–

सहायक कलेक्टर एवं ... बांदीकुई

वर्तमान जमाबन्दी अनुसार दर्ज प्रविष्टी	प्रस्तावित कुर्रेजात				
		नाम खातेदार	ख.न.	रकबा	किस्म
राजस्व ग्राम मुकरपुरा हाल जमाबंदी के खाता संख्या 75 ख.न. रकबा किस्म 581 0.13 चाही I 582 0.18 चाही I 584 0.16 बारानी ए 587 0.10 बारानी ए किता 4 रकबा 0.57 है.	1	रोशन पुत्र रामचन्दर हि. पूर्ण जाति बैरवा सा. देह खातेदार	584/3	0.0050 है.	
			किता 1		
	2	तारा चन्द पुत्र राधा किशन हि. पूर्ण जाति बैरवा देह खातेदार	581	0.13	
			582/1	0.15	
			584/1	0.14	
			587/1	0.08	
			किता 4	0.50	
	3	अशोक कुमार, छोटेलाल, दीनदयाल, बृजमोहन,राजेन्द्र,लालाराम, विनोद कुमार पि. बाबूलाल हिस्सा 4039/29920 नीरू, सुनीता, विमला पुत्री बाबूलाल हिस्सा 1731/29920 बिशन लाल, भौरया पि. कजोड हि. 345/1496 भौती देवी , लडडो देवी, पुनी पुत्री कजोड हि. 345/5984 सोमोती लाल, धन्ना लाल पि. श्रवण हि. 115/2992 लाली, उगन्ती, नर्बदा पुत्री श्रवण हि. 345/5984 रामप्रसाद पुत्र किशोर हि. 575 /5984 चन्दो पत्नि किशोर हि. 575/5984 प्रेम देवी पुत्री नाथ्या हि. 575/5984 जाति बैरवा सा. देह खातेदार रेशम पत्नि प्रीतम हि. 805/5984 जाति बैरवा सा. खेडी खातेदार	582/2	0.03	
			584/2	0.0150	
			587/2	0.02	
			किता 3	0.0650 है.	

कुर्रेजात निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। अंतिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार बॉदीकुई तदानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। साथ ही प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत न करे। पालना हेतु तहसीलदार बॉदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांकः 21..07.2025 को लिखा व सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। निर्णय सुनाया गया।

(नी... कैरोल)
आरएएस
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
बाँदीकुई

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

रा.मु.अ.33 4-2000-10 लाख फा.

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

APP
Crll

जज अदालत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

.... बनाम ....

केस्म मुकदमा .... नं० .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रोशनलाल बनाम ताराचन्द	
	11/7/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित हैं। वास्ते इन्तजार ADM न्यायालय के आदेश दिनांक 18/7/25 को पेश हो। सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) बांदीकुई	
	18/7/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित पक्ष० ADM कोर्ट के निर्णय दिनांक 17/7/25 की प्रति पेश हुई। न्यायालय/प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है। वास्ते आदेश दिनांक 21/7/25 को पेश हो। सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) बांदीकुई	
	21/7/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित पक्ष० पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र धारा 151 तथा आपत्तियां [illegible] खारिज किया जाकर तहसीलदार [illegible] से प्राप्त [illegible] स्वीकार किये जाकर वादी [illegible] डिक्री किया जाता है। [illegible] प्रकरण को निस्तारित [illegible] पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर एवं [illegible]	